कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/नियुक्ति–रावि/पीएससी–15/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात आरपीएससी से प्राप्त अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। उक्त भर्ती का अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 10178/2021 सत्येन्द्र डागुर व अन्य बनाम राज्य एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 10178/2021 सत्येन्द्र डागुर व अन्य बनाम राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2021 द्वारा याचिकार्थिगण को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार व अन्य एवं एस.बी.सी. याचिका संख्या 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है "If the respondent no-2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, than the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but the would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण सत्येन्द्र डागुर व अन्य द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 09.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक अभ्यर्थियों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

Rajasthan Education Department

क्र.सं	नाम याचिकार्थी	जन्मतिथि	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	SATYENDRA DAGUR	20-05-1992	R-98	16-09-2019	18-09-2019
2	BHAWANI SINGH RAJPOOT	08-08-1987	R-1	16-09-2019	19-09-2019
3	BHASKAR SHARMA	07-08-1982	R-2	16-09-2019	25-09-2019
4	RAVI KANT BENWIVAL	26-06-1989	R-97	16-09-2019	18-09-2019
5	SRAVAN RAM PATEL	09-08-1982	R-103	16-09-2019	25-09-2019
6	VINOD KUMAR	30-12-1984	R-99	16-09-2019	18-09-2019
7	OM PRAKASH	25-09-1988	R-93	16-09-2019	19-09-2019

सत्यमेव जयते

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.28 12:55:18 IST
Reason: Approved

8	RAJAT CHOUDHARY	19-02-1991	R-89	16-09-2019	19-09-2019
9	DHARMENDRA TIWARI	16-07-1978	R-3	16-09-2019	18-09-2019
10	RAJESH LEGA	07-01-1979	R-85	16-09-2019	24-09-2019

उपर्युक्त याचिकार्थियों के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर मे दायर याचिका संख्या 10178/2021 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 14.09.2021 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जारी आरक्षित सूची दिनांक 11.07.2019 के आधार पर आयोग से प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार ही याचिका में वर्णित कार्मिकों को इस कार्यालय के आदेश दिनांक 16.09.2019 द्वारा पदस्थापन आदेश जारी किया गया। याचिका में वर्णित समस्त कार्मिकों का चयन आरक्षित सूची में हुआ है। इस कार्यालय द्वारा जारी पत्रांक :शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./विविध/2020 दिनांक :05.11.2020 के अनुसार आरक्षित सूची द्वारा चयनित याचिर्थियों को अथवा आरक्षित सूची द्वारा चयनित कनिष्ठ अभ्यर्थियों से तुलना के आधार पर परिलाभ चाहने वाले याचिकार्थियों को परिलाभ देय नहीं होगा। अतः आरक्षित सूची से चयनित अभ्यर्थियों का मुख्य सूची में चयनित अभ्यार्थियों के समान वरिष्ठता, वेतनवृद्वि अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग तर्कसंगत नही होने के आधार पर प्रस्तुत अभ्यावेदन को खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंवें।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/को.के. या.स.10178/2021/नोशनल/2023–11318 दिनांक : 28-09-2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01– विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
02– वशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
03– निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एंव भाषा एंव पुस्तकालय विभाग एंव पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
04– संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा................................ ।
05– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी........................ ।
06– सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय–हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
07– संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि .... ।
08– संबंधित कार्मिक .... ।
09– निजी/रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा निदेशक
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.28 12:55:18 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/नियुक्ति–रावि/पीएससी–15/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात आरपीएससी से प्राप्त अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। उक्त भर्ती का अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 6179/2020 रामदयाल व अन्य बनाम राज्य एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6179/2020 रामदयाल व अन्य बनाम राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2020 द्वारा याचिकार्थिगण को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार व अन्य एवं एस.बी.सी. याचिका संख्या 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है "If the respondent no-2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, than the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but the would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण रामदयाल व अन्य द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 09.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक अभ्यर्थियों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकार्थी	जन्मतिथि	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	RAM DAYAL	**24.10.1990**	**1793**	**24.08.2018**	**01.09.2018**
2	SHANKER RAM MEGHWAL	10-10-1979	1696	28-08-2018	05-09-2018
3	MAHESH KUMAR MEENA	17-08-1981	1917	28-08-2018	06-09-2018
4	KISHAN LAL	05-02-1991	1778	24-08-2018	01-09-2018
5	DALLA RAM	27-02-1979	1788	24-08-2018	30-08-2018
6	NITESH	13-04-1983	1589	24-08-2018	31-08-2018

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.09.28 09:04:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4750584

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा कार्मिक कौशल्या कुमारी मेरिट क्रमांक –2221 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी कार्मिक द्वारा राउमावि भोजरासर, सरदारशहर , चूरू में दिनांक 15.06.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 6179/2020 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 30.07.2020 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी कौशल्या कुमारी(मेरिट क्रमांक–2221) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में कौशल्या कुमारी द्वारा दिनांक 15.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

कौशल्या कुमारी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थी के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक कौशल्या कुमारी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी रामदयाल व अन्य वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परंतु वे सभी नोशनल परिलाभ के हकदार ही होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department

क्रमांकः–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/को.के. या.स. 6179/2020–11528 दिनांक : 28-09-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01– विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
02– वशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
03– निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एंव भाषा एंव पुस्तकालय विभाग एंव पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
04– संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा................................ ।
05– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी........................ ।
06– सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय–हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
07– संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि .... ।
08– संबंधित कार्मिक .... ।
09– निजी/रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा निदेशक
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.09.28 09:04:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4750584

<u>कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर</u>

<u>आदेश</u>

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/नियुक्ति–रावि/पीएससी–15/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात आरपीएससी से प्राप्त अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। उक्त भर्ती का अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 9933/2022 ललिता चन्द्रावत बनाम राज्य एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 9933/2022 ललिता चन्द्रावत बनाम राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2022 द्वारा याचिकार्थिगण को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार व अन्य एवं एस.बी.सी. याचिका संख्या 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है "If the respondent no-2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, than the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but the would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण ललिता चन्द्रावत द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 09.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक अभ्यर्थियों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकार्थी	जन्मतिथि	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	LALITA CHANDRAWAT	**14.12.1984**	**2140**	**28.08.2018**	**01.09.2018**

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा कार्मिक कौशल्या कुमारी मेरिट क्रमांक –2221 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी कार्मिक द्वारा राउमावि भोजरासर, सरदारशहर , चूरू में दिनांक 15.06.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 9933/2022 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 18.07.2022 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.09.28 20:46:07 IST
Reason: Approved

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी कौशल्या कुमारी(मेरिट क्रमांक–2221) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में कौशल्या कुमारी द्वारा दिनांक 15.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

कौशल्या कुमारी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थी के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक कौशल्या कुमारी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी ललिता चन्द्रावत वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परंतु वे सभी नोशनल परिलाभ के हकदार ही होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/को.के. या.स. 9933/2022/नोशनल–11523 दिनांक : **28-09-2023**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01– विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
02– वशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
03– निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एंव भाषा एंव पुस्तकालय विभाग एंव पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
04– संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.............................. ।
05– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी....................... ।
06– सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय–हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
07– संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि .... ।
08– संबंधित कार्मिक .... ।
09– निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा निदेशक
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.28 20:46:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4750616

<u>कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर</u>

<u>आदेश</u>

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/नियुक्ति–रावि/पीएससी–15/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात आरपीएससी से प्राप्त अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। उक्त भर्ती का अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 2730/2021 गौतम चन्द भाटी व अन्य बनाम राज्य एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2730/2021 गौतम चन्द भाटी व अन्य बनाम राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2021 द्वारा याचिकार्थिगण को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार व अन्य एवं एस.बी.सी. याचिका संख्या 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है "If the respondent no-2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, than the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but the would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण श्योजी राम जाट द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 09.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकार्थी	जन्मतिथि	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	DR SHYOJI RAM JAT	01.07.1977	1296	24.08.2018	29.08.2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के नियुक्ति आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा कार्मिक मीनाक्षी मेरिट क्रमांक –2021 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी कार्मिक द्वारा राउमावि रेपडावास, सोजत,पाली में दिनांक 16.06.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 2730/2021 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 17.02.2021 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी मीनाक्षी (मेरिट क्रमांक–2021) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा किया

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.28 20:45:17 IST
Reason: Approved

Rajasthan Education Department

गया था, जिसके क्रम में मीनाक्षी द्वारा दिनांक 16.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

मीनाक्षी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थी के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक मीनाक्षी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी श्योजी राम जाट वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परंतु वे सभी नोशनल परिलाभ के हकदार ही होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / मा / संस्था / सी–6 / रावि / को.के.या.स.2730 / 2021 / नोशनल / 2023–11524 दिनांक : 28-09-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01– विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
02– विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
03– निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एंव भाषा एंव पुस्तकालय विभाग एंव पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
04– संबंधित संयुक्त निदेशक / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा................................ ।
05– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी........................ ।
06– सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय–हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
07– संबंधित संस्था प्रधान राउमावि / राबाउमावि .... ।
08– संबंधित कार्मिक .... ।
09– निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा निदेशक
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.28 20:45:17 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः–शिविरा/माध्य/ संस्था/सी–2/ नियुक्ति– इतिहास/ पीएससी–15/2017 दिनांक 22.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 22.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। जिसके क्रम में अन्तिम नियुक्ति आदेश दिनांक–24. 12.19 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 22.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी (सुमन कुमारी) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 11855/2023 सुमन कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11855/2023 सुमन कुमारी बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.08.2023 में याचिका को एस.बी.सी या.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 व एस.बी.सी. या.स. 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है। एस. बी.सी. यां.स. 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 16.07.2014 में आदेशित किया है **"If the respondent no.2, Director, sec.education, decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit , then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits. "**

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी सुमन कुमारी में निम्नांकित अभ्यर्थी सुमन कुमारी प्राध्यापक इतिहास द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

S. NO.	NAME	SUBJECT	DATE OF BIRTH	MERIT NO.	DATE OF APPOINTMENT	DATE OF JOINING
1	SUMAN KUMARI	HISTORY	04/01/1990	1396	27/10/2018	02/11/2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक इतिहास विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2017 में कनिष्ठ वरीयता धारी कार्मिक सविता देवी मेरिट क्रमांक 1959 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी सविता देवी द्वारा दिनांक 28.06. 2017 कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी सुमन कुमारी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 11855/2023 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 21.08.2023 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी सविता देवी (मेरिट क्रमांक 1959) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित आदेश दिनांक 22.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सविता देवी द्वारा दिनांक 28.06.2017 को कार्यग्रहण किया गया। कनिष्ठ अभ्यर्थीयों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

सविता देवी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक सविता देवी के समान राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरियता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी सुमन कुमारी भी वरिष्ठता के समस्त [illegible] प्राप्त करने के

Signature valid
Digitally signed by K[illegible] Ram
Designation: Director
Date: 2023.0[illegible]:43:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4802069

Rajasthan Education Department

अधिकारी होगें, लेकिन ये केवल नोशनल परिलाभ के ही हकदार होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/इति.–वाणि./नोशनल/सुमन कुमारी/या.स.–11855/2023 दिनांक– 28/09/2023

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
9. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.28 [illegible]:43:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4802069

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर में दायर एस. बी. सी. याचिका सं 14988/2022 प्रियंका बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक : 10.01.2023 के द्वारा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्थानान्तरण–पदस्थापन/2022 दिनांक : 24.09.22 द्वारा याचिकार्थी का स्थानान्तरण राउमावि उदासर (211217), बीकानेर से राउमावि उदयरामसर (211208), बीकानेर हुआ जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया।

उक्त एस. बी. सी. सिविल याचिका सं–14988/2022 में पारित निर्णय दिनांक : 10.01.2023 माननीय न्यायालय द्वारा स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन दिनांक : 10.01.2023 को कन्फर्म किया। याचिकार्थिया को माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या– 12829/2022 प्रवीण कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2023 से सम्बन्ध कर निस्तारित किया है। निर्णयानुसार प्रत्यर्थी विभाग दिनांक 15.04.2023 के बाद स्थानान्तरण के लिए नवीन आदेश जारी करने के लिए स्वतन्त्र है।

उक्त पारित निर्णय अनुसार याचिकार्थिया प्रियंका का पदस्थापन राउमावि उदासर (211217), बीकानेर से राउमावि नोरंगदेसर (211199), बीकानेर में व्या. हिन्दी के पद पर किया जाता है। संबंधित अधिकारी आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित करें। अपीलार्थी को उक्त पदस्थापन पर नियम अनुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

Rajasthan Education Department

(काना राम)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/या.स.–14988/2022/2023 दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर।
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
06. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
07. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
08. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
09. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक.. ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.28 20:01:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4771488

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.28 20:01:46 IST
Reason: Approved

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/नियुक्ति–हिन्दी/पीएससी–15/2017 दिनांक : 16.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक : 16.06.2017 के पश्चात् जारी जारी किये गये। जिसके क्रम में अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक : 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक : 16.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशो से सबंधित अभ्यर्थी गोविन्द राम द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे याचिका सं : 11894/2023 गोविन्द राम बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता मे स्वंय से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिको के समान वरिष्ठता वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी. सिविल याचिका संख्या : 11894/2023 गोविन्द राम बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक : 25.08.2023 में याचिका को एस बी सी याचिका संख्या : 7283/2014 मनोज खंडेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक : 16.07.2014 व एस बी सी याचिका संख्या : 19179/2017 कृष्णलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक : 30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है।

एस.बी.सी याचिका सं : 7283/2014 मनोज खंडेलबाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक : 16.07.2014 में आदेशित किया है "If the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only of notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी में याचिकार्थी गोविन्द राम प्राध्यापक हिन्दी है। गोविन्द राम के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसमे मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक : 16.06.2017 के अनुसार स्वंय से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.स.	नाम	जन्म दिनांक	मेरिट नं.	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1.	गोविन्द राम	05.12.1979	2587	23.06.2017	04.07.2017

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.28 20:23:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4794839

उक्त सारणी में याचिकार्थी गोविन्द राम का नियुक्ति आदेश 23.06.2017 तथा कार्यग्रहण 04.07.2017 है इनको कार्यालय हाजा के मार्गदर्शन के क्रम में राज्य सरकार शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग के वित्त (नियम) विभाग के पत्रांक प. 17(17) शिक्षा–2/2022–00737 दिनांक 29.08.2023 में उल्लेखित नियमानुसार वरिष्ठ कार्मिक के नियुक्ति आदेश कनिष्ठ कार्मिक के साथ ही जारी किये गये है। किन्तु वरिष्ठ कार्मिक के द्वारा स्वेच्छा से पद पर कार्यग्रहण विलम्ब से किया गया है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक का कनिष्ठ कार्मिक के कार्यग्रहण की दिनांक से काल्पतिक आधाार पर वेतन तथा वेतन वृद्धि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है इसलिए प्रार्थी गोविन्द राम को नोशनल परिलाभ देय नहीं है। गोविन्द राम को वरिष्ठंता लाभ राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी की गई मूल मेरिट सूची से देय होगा।

उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/नोशनल/या.स.– 11894 गोविन्द राम 2023 दिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
6. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर/जयपुर।
7. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. संबंधित प्राधानार्चा/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.28 20:23:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4794839